उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-396/41-1-2025-सी०एन०-1796736-2024
लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2025
शासनादेश संख्या-350/2025/1101/41-1-2025-सी0एन0-1796736-2024, दिनांक 30.03.2025 का
शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-350/2025/1101/41-1-2025-सी0एन0-1796736-2024, दिनांक 30.03.2025 के प्रस्तर-2 के सारिणी के क्रमांक-1 में अंकित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रू० 48.00 लाख के स्थान पर रू0 96.12 लाख (जी०एस०टी० सहित), प्रस्तर-2 के सारिणी के क्रमांक-2 में अंकित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रू0 41.00 लाख के स्थान पर धनराशि रू0 82.30 लाख (जी०एस०टी० सहित), प्रस्तर-2 के सारिणी के क्रमांक-3 में अंकित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रू0 50.00 लाख के स्थान पर धनराशि रू0 100.70 लाख (जी०एस०टी० सहित) पढ़ा एवं समझा जाय।

तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2025 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा उक्त शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यधावत् रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 . प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, हाथरस, जौनपुर, कुशीनगर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
10. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना) पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. संबंधित उपनिदेशक, पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटन।
12. वित्त (व्यय-नियन्त्रक) अनुभाग-7
13. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।